International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 02-01-2022, Accepted: 17-01-2022, Published: 02-02-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 21-25

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा विधेयक 2021: एक विहंगावलोकन

सुभाष भिमराव दोंदे
सहयोगी प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान प्रभाग, किर्ति महाविद्यालय, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
नदी के अधिशेष जल को संग्रहित करने के लिए बांध और जलाशय एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है; जिसका निर्माण बहुउद्देश्यीय उपयोगों जैसे पीने का पानी, कृषि सिंचाई, औद्योगिक उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल–विद्युत उत्पादन, तथा अंतर्देशीय नौवहन जैसी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े निवेश के साथ किया जाता है। किंतु बांधों के निर्माण में अवांछनीय सामाजिक और पर्यावरणीय लागत भी शामिल है, जिसमें जैव–विविधता से भरे जंगलों एवं उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्से का जलमग्न होना और आदिवासियों जैसे कमजोर समुदायों का विस्थापन भी शामिल है। भारत के संघराज्यीय ढांचे के परिपेक्ष्य में लगभग 92% बांध अंतर्राज्यीय नदी द्रोणीयों या घाटियों पर बनाये गए हैं; जिनके पानी के बटवारे को लेकर संबंधित राज्योंमें बरसों से अनसुलझे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद चल रहे है। बांधो की संख्या की तुलना में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध निर्माता है। वर्तमान में भारत में 5,745 बड़े बांध हैं, जिनमें से 293 बांध 100 साल से अधिक पुराने हैं। इसके अलावा 1,041 (25%) बांध 50 से 100 साल पुराने हैं और 80: बांध 25 वर्षों से अधिक साल पुराने है। आजादी के बाद से भारत में अबतक 40 बांध विफल होकर टूट चुके हैं। बांधों की विफलता से उपजने वाली आपदा की रोकथाम के लिए बांधों की निगरानी, देखभाल, संचालन या परिचालन और रखरखाव के लिये भारत में अब तक कोई कानूनी प्रावधान नही था। किन्तु संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा विधेयक–2021 पारित हो जाने ने की वजह से सत्तर साल पुरानी यह कमी पूरी हो गयी है। प्रस्तुत अनुसन्धान लेख राष्ट्रीय बांध सुरक्षा विधेयक 2021 से जुड़े समस्त पहलुओं का समीक्षात्मक विहंगावलोकन है।

मूल शब्दः बांध, जलाशय, बाढ़, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा विधेयक

प्रस्तावना
जल पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के निर्वाह के लिए आत्यावश्यक है। हालांकि, यह पूरी दुनिया में समान रूप से वितरित नहीं है, और यहां तक कि एक ही स्थान पर इसकी उपलब्धता भी साल भर एक समान नहीं है। जबकि दुनिया के कुछ हिस्से, जो पानी की कमी से जूझते हुए, सूखे की चपेट में हैं, वही दुनिया के अन्य हिस्से, जिनमें प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हैं, उपलब्ध जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की चुनौती का सामना कर रहे हैं। नदियाँ प्रकृति का एक महान उपहार हैं और विभिन्न सभ्यताओं के विकास में नदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इजिप्त की नाईल या प्राचीन सिंधु–घाटी सभ्यता यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है। हालांकि, कई अवसरों पर, नदियों ने, विशेष रूप से बाढ़ के समय, लोगों के जीवन और संपत्ति के साथ तबाही मचाई है। जैसे की बरसों से बिहार की कोसी और पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी बाढ़ से तबाही मचाती आ रही है। इसलिए नदी जल का प्रबंधन भारत सहित दुनिया भर में, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रहा है। नदी जल संसाधनों के इष्टतम प्रबंधन की मांग है कि, विभिन्न नदी घाटियों के लिए विशिष्ट योजनाएं विकसित की जाएं, जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से वर्धनक्षम हों, और व्यापक सर्वेक्षण करने के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाए।
सभ्यता के आगमन के बाद से, मनुष्य नदी के अधिशेष पानी को संग्रहित करने के लिए बांधों और जलाशयों का निर्माण कर रहा है, जो वर्षाऋतु के दौरान उपलब्ध है, ताकि जिसका अन्य ऋतु के दौरान उपयोग हो सके। इस तरह बांध नदियों पर एक बड़ा कृत्रिम अवरोध है जो जलाशय या झील का निर्माण करते हुए नदी के प्रवाह को रोककर संग्रहित करता है। विश्व के कुछ सबसे पहले बांध मेसोपोटेमिया में 7,000 साल पहले तक बनाए गए थे। आधुनिक बांध इस्पात –प्रबलित कॉन्क्रीट की मेहराबदार दीवारों के साथ बनाए जाते हैं। मेहराबदार दीवार एक बहुत मजबूत बनावट है जो दीवार को पानी के भारी भार या दाब का सामना करने में मदद करती है। अधिकांश बांधों में एक खंड होता है जिसे अधिप्लव मार्ग (चपससूंल) कहा जाता है, जिसके माध्यम से, कभी–कभी या हमेशा पानी बहता रहता है।
पीने का पानी, कृषि सिंचाई, औद्योगिक उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल–विद्युत उत्पादन, तथा अंतर्देशीय नौवहन जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बांध और जलाशय महत्वपूर्ण बहुउद्देश्यीय योगदान देते हैं। भारत सहित दुनिया भर में बांध और जलाशय दोहरी भूमिका निभा रहे हैं; जैसे एक तरफ सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए नदी के पानी की उपलब्धता बढ़ा रहे है तो दूसरी ओर बाढ़ और सूखे की अनियमितताओं एवं पीड़ा से जूझते दुनिया की एक बड़ी आबादी के दुःखो को कम कर रहे है । इस तरह एक उद्धारक की भाँति बांध मानव जाति के लिए एक योमन की सेवा प्रदान करते हैं।
बांधों के निर्माण में अवांछनीय सामाजिक और पर्यावरणीय लागत भी शामिल है, जिसमें जैव–विविधता से भरे जंगलों एवं उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्से का जलमग्न होना और आदिवासियों जैसे कमजोर समुदायों का विस्थापन भी शामिल है; जिसके कारण परियोजना के पूरा होने में संघर्ष और विलंब को जन्म दिया है। देश में बड़े बांध बनाने के लिए उचित निर्माण–स्थानों की कमी है और बड़े तथा मध्यम बांध परियोजनाओं के निर्माण में बड़े पैमाने पर समय–अंतराल और

लागत में भारी वृद्धि भी होती है। संबंधित उपरोक्त समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है, यदि प्रबंधन का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ, गतिशील, प्रगतिशील और समय की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो।

जब बड़े बांध बांधो का ज़िक्र होता है तो भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। बड़े बांधों से संबंधित राष्ट्रीय रजिस्टर के पास उपलब्ध 2019 के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत में 5,745 बड़े बांध हैं, जिनमें से 293 बांध 100 साल से अधिक पुराने हैं। इसके अलावा 1,041 (25%) बांध 50 से 100 साल पुराने हैं और 80ः बांध 25 वर्षों से अधिक साल पुराने है। इनमें से अधिकांश बड़े बांध महाराष्ट्र (2394), मध्य प्रदेश (906) और गुजरात (632) में हैं। इसमेंसे अधिकांश पुराने बांध, मिट्टी और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बने गैर–ठोस संरचना होने के कारण, विशेष रूप से अत्यधिक वर्षा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण टूटने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि ने इन बांधों के लिए खतरा बढ़ा दिया है।

यद्यपि भारत की बांध सुरक्षा संबंधित पिछली उपलब्धियाँ विकसित देशों के समान है, लेकिन अनपेक्षित बांध विफलताओं और बांधों के घटिया रखरखाव की घटनाओं के यहाँ उदाहरण मिलते हैं; जिन्होंने जीवन, संपत्ति और बुनियादी ढांचे पर अबतक भारी नुकसान पहुँचाया है। आजादी के बाद से भारत में 40 बांध टूट चुके हैं और 1979 में गुजरात में इस तरह की सबसे भीषण आपदा आई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। नवीनतम दुर्घटना इस साल फरवरी में उत्तराखंड के ऋषिगंगा बांध की है, जिससे भूस्खलन से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, बाढ़ के कारण भारत में 44% बांध विफल हो गए, जबकि शेष अपर्याप्त अधिप्लव मार्ग क्षमता, पाइपिंग और खराब कार्यकुशलता सहित अन्य कारकों के कारण हुए।

आज़ादी के बाद से बांधों ने भारत में तेजी से संधारणीय कृषि विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू होने वाली कई पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बड़ी बिजली परियोजनाओं के विकास पर प्रमुख जोर दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिनका मानना था की बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। जहाँ तक बांधों के संचालन की बात आती हसि तो विविध राज्य अधिकतर 5,675 प्रमुख बांधों का संचालन करते हैं, जबकि 40 का प्रबंधन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है, और पांच बांधों को निजी कंपनियां द्वारा संचालित किया जाता हैं।

इसलिए, बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक–समान कानून और प्रशासनिक ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। देश में 70 से अधिक वर्षों से बांध सुरक्षा कानून नहीं था। अबतक बांध सुरक्षा संबंधी कोई कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय नहीं थे। केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस), केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (सीडीएसओ) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) के माध्यम से बांधों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और उनके सुझाव केवल परामर्शी श्रेणी के हैं। बांध सुरक्षा पर एक केंद्रीय जल आयोग समिति (1986) ने सभी बांधों के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रक्रियाओं की सिफारिश की थी, और बांध सुरक्षा के लिए एक वैधानिक ढांचे का सुझाव दिया था। 2007 में, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें संसद से बांध सुरक्षा पर एक कानून बनाने का अनुरोध किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप, बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 को अनुच्छेद 252 के तहत लोकसभा में पेश किया गया था, जो संसद को राज्य के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है, जो राज्य इस तरह के कानून का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हैं। हालांकि, 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही 2010 का विधेयक कालातीत हो गया।

परिकल्पना

देर आये दुरूस्त आये इस लिहाज से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा विधेयक–2021 का पारित होना यह मौजूदा केंद्र सरकार की सराहनीय उपलब्धि है; किंतु विधेयक की अंतर्निहित त्रुटियों के बावजूद इसके प्रावधानों का सख्ती से परिपालन होना यह समय–सीमा पार कर चुके देश के समस्त बांधो की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है।

क्रिया–विधि

प्रस्तुत लेख गुणात्मक विषय–वस्तु विश्लेषण के दायरे में असंरचित और गैर–संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर श्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा विधेयक–2021 के समस्त पहलुओं को समझने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं अनुसंधान कर्ताओं के संदर्भ सूचीबद्ध प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक विहंगावलोकन है।

विचारविमर्श

बांध एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिसका निर्माण बहुउद्देश्यीय उपयोगों के लिए बड़े निवेश के साथ किया गया है। एक असुरक्षित बांध मानव जीवन, पारिस्थितिकी और फसलों, घरों, इमारतों, नहरों और सड़कों सहित सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के लिए एक खतरा है। इसलिए, बांध की सुरक्षा आम जनता के लिए बहुत चिंता का विषय है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन जाती है। इसी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के मद्देनजर भारत सरकार 1982 से बांध सुरक्षा को विनियमन करने वाला एक वैधानिक ढांचा चाहती थी। इस बहुप्रतिक्षित क़ानून के इतिहास को संक्षेप में याद करते हुए यह मालूम पड़ता है भारत सरकारने 1982 में मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करने और भारत में बांधों की सुरक्षा के लिए एकीकृत प्रक्रिया विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट में बांध सुरक्षा पर आवश्यक कानून को रेखांकित करते हुए सभी बांधों के लिए एक एकीकृत बांध सुरक्षा प्रक्रिया की सिफारिश की थी।

बिहार ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया। केरल ने बांध सुरक्षा प्रावधान को शामिल करते हुए अपने सिंचाई अधिनियम में संशोधन किया। हालांकि, कुछ राज्यों ने एक एकसमान केंद्रीय बांध सुरक्षा कानून का समर्थन किया। अविभाजित आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य ने संसद के एक अधिनियम के लिए अपनी विधानसभाओं में प्रस्तावों को

अपनाया। तदनुसार, बांध सुरक्षा विधेयक पहली बार 30 अगस्त, 2010 को 15वीं लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसने कुछ बांध स्थलों का अध्ययन दौरा किया, सार्वजनिक ज्ञापन आमंत्रित किए, प्रक्षेत्र विशेषज्ञों को सुना, आधिकारिक गवाहों और हितधारकों की जांच की और आखिरकार अगस्त 2011 में संसद को एक व्यापक रिपोर्ट पेश की।

किन्तु जल संसाधन मंत्रालय ने विधेयक को वापस ले लिया और 16वीं लोकसभा के दौरान एक नया बांध सुरक्षा विधेयक पेश किया। लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 कालातीत हो गया। सरकार ने 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 29 जुलाई, 2019 बांध सुरक्षा विधेयक– 2019 पेश किया और 2 अगस्त, 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। जिसे बाद में को 02 दिसंबर, 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया। और इस तरह देश भर में निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, देखभाल, संचालन या परिचालन और रखरखाव के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने की मांग वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।

विधेयक की संवैधानिक वैधता

हालांकि पानी राज्य सूची (प्रविष्टि 17) के अंतर्गत है, केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत कानून को संघ सूची की प्रविष्टि 56 और प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा है। जल, अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति से संबंधित राज्य सूची की प्रविष्टि 17, सूची–I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। सूची–I की प्रविष्टि 56 संसद को अंतर–राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन पर कानून बनाने की अनुमति देती है यदि वह इस तरह के विनियमन को सार्वजनिक हित में इष्टानुकूल (expedient) घोषित करती है। अनुच्छेद 246 संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की सूची–I में वर्णित किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। प्रविष्टि 97 संसद को किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने की अनुमति देती है जो सूची–II या सूची–III में शामिल नहीं है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

1. विधेयक 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी बांधों की विफलता से संबंधित आपदा की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, देखभाल, संचालन या परिचालन और रखरखाव प्रदान करता है और इस सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र का भी प्रावधान करता है और यह समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में राज्यों की सहायता करना चाहता है। विधेयक के प्रावधानों को देश के उन सभी बांधों पर लागू करने का प्रस्ताव है जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक या 10 मीटर से 15 मीटर के बीच है। इसके अलावा, विधेयक बांधों के रखरखाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को अंतर–राज्यीय क्षेत्राधिकार के दायरें में हल करने का भी प्रयास करता है क्योंकि देश में लगभग 92ः बांध अंतर–राज्यीय नदी बेसिन (द्रोणी) पर हैं।
2. बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की चार परतें होंगी– दो केंद्रीय स्तर पर और दो राज्य स्तर पर। समान बांध सुरक्षा नीतियों, क्रमाचार (प्रोटोकॉल) और कार्यप्रणाली को विकसित करने में मदद के लिए बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस) का गठन किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे और इसमें केंद्र द्वारा नामित केंद्र सरकार के 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं होंगे। और तीन प्रक्षेत्र (कवउंपद) विशेषज्ञों के अलावा राज्य सरकार के सात प्रतिनिधि के शामिल होंगे।
3. विधेयक में बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) नामक नियामक निकाय का गठन किया जाएगा।
4. राज्य स्तर पर, विधेयक बांध सुरक्षा पर राज्य बांध सुरक्षा समितियों (एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) के गठन के लिए अध्यादेश देता है। ये निकाय अपने क्षेत्राधिकार में बांधों के निगरानी, देखभाल, संचालन या परिचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।
5. विधेयक मानसून से पहले और बाद में तथा भूकंप, बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं के तुरंत बाद दुर्गति से जनित किसी भी लक्षण के प्रकट होने पर संरचनाओं का निरीक्षण करने के लिए श्बांध सुरक्षा इकाइयोंश के गठन का प्रावधान करता है। ये इकाइयाँ तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करने और आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार होंगी।
6. विधेयक में बांधों के नियमित निरीक्षण और खतरों के वर्गीकरण का प्रावधान है। यह विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा आपातकालीन कार्य योजनाओं और व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा तैयार करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा इसमें अनुप्रवाह निवासियों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली का प्रावधान भी किया गया है।
7. बांध मालिकों का दायित्व के संदर्भ में यह बांध मालिकों को संबंधित मशीनरी के साथ बांध संरचना की समय समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता का प्रावधान करता है।
8. और आख़िर में विधेयक के प्रावधानों का सख़्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक दंडात्मक प्रावधान हैं; जिनमें अपराध के लिए दंड शामिल हैं। बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का पालन करने से इनकार करने वाले को एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि अपराध में जीवन की हानि होती है, तो कारावास को दो वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।

विधेयक की त्रुटियों पर चिंता

केंद्रीय जल आयोग सभी बांध परियोजनाओं के तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगा। खुदा ना खास्ता यदि परियोजना विफल हो जाती है तो उस परियोजना की लेखा–परीक्षा (ऑडिट) करने का भी अधिकार भी इसी निकाय को है। यह अपने स्वयं के कारण का न्यायाधीश होने जैसा विसंगत है। विधेयक में हितों में टकराव या अंतर्विरोध है।

एनसीडीएस के सदस्य के रूप में केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि के प्रावधान का मतलब होगा कि सीडब्ल्यूसी सलाहकार और नियामक दोनों के रूप में कार्य करेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के तहत अनुचित है। इसके अलावा बांध परियोजना विफल होने से प्रभावित लोगों को मुआवजे के भुगतान पर विधेयक खामोश है।

राज्यों ने विशेष रूप से तमिलनाडु ने अभिकथित किया कि विधेयक की समीक्षा की जरूरत है क्योंकि यह असंवैधानिक है और राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। विधेयक के कुछ प्रावधान संघीय ढांचे में हस्तक्षेप करते हैं। इस विधेयक, में ऐसी उपधारा शामिल हैं जो विशेष रूप से केरल राज्य में तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाए गए बांधों के संबंध में तमिलनाडु के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, और उनके रखरखाव और संचालन में विभिन्न समस्याएं पैदा करते हैं। तमिलनाडु की मुख्य चिंता विधेयक की उपधारा 23 (1) से उपजी है, जिसके अनुसार यदि एक राज्य के बांध दूसरे राज्य के क्षेत्र में आते हैं, तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका निभाएगा, इस प्रकार संभावित अंतर्राज्यीय संघर्षों के कारण को समाप्त कर देगा। यह धारा तमिलनाडु के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके चार बांध हैं – मुल्लापेरियार, परम्बिकुलम, थुनाकाडावु और पेरूवरिपल्लम में जो इसके स्वामित्व में हैं, लेकिन पड़ोसी केरल में स्थित हैं। वर्तमान में, इन बांधों पर अधिकार दो राज्यों के बीच पहले से मौजूद दीर्घकालिक समझौतों द्वारा नियंत्रित होते हैं। किन्तु विधेयक के प्रावधानों का तात्पर्य है कि बांध के मालिक राज्य को दूसरे राज्य में स्थित बांध की सुरक्षा और रखरखाव का अधिकार नहीं होगा।

उपसंहार

भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल संग्रहण क्षमता 225 घन मीटर है, जो चीन (1,200 घन मीटर) की तुलना में बहुत कम है। भारत में पानी की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता 879 क्यूबिक मीटर है और यह पानी का दुष्प्राप्य देश है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पानी की कमी है। इसके विपरीत यहाँ जल संग्रहण या जल प्रबंधन का अभाव है। बांध जल संग्रहण की कमी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। इसके विपरीत, अवसादन की समस्या के कारण नदी की भंडारण क्षमता 75 प्रतिशत तक कम हो जाती है। बदलते परिप्रेक्ष्य में शुरुआती अधिक से अधिक बांधों के निर्माण पर जोर देने की बजाय अब बेहतर प्रबंधन और पानी के संधारणीय वितरण की ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जैसे–जैसे नदीयों का पुनर्जीवन एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, नदी के प्रवाह पर बांध निर्माण का प्रभाव भी जांच के दायरे में आ गया है। नीति आयोग द्वारा शसिंचाई क्षमता निर्मितीश और शसिंचाई क्षमता उपयोगश के बीच का फासला 24 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इन दोनों के बीच इस अंतर के सेतु–बन्धनसे एक भी नया बांध बनाए बिना, बहुत कम लागत पर, लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि की अतिरिक्त सिंचाई में मदद मिल सकती है।

हाल ही में एक अध्ययन में कहा गया है कि पुराने बांध अधिक सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं, रखरखाव के मामले में लागत अधिक होती है और अवसादन के कारण कार्यक्षमता में गिरावट आती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से बांधों की उम्र बढ़ने में तेजी आने की संभावना है। इसलिए इस बात की हिमायत की जाती है कि, भारत को अपने पुराने बांधों का श्लागत–लाभ विश्लेषणश करना चाहिए, और उनकी परिचालन और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ निचले इलाकों या अनुप्रवाह में रहने वालों की सुरक्षा लिए समय पर सुरक्षा समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा, टिहरी बांध सहित कुछ हिमालयी बांध प्रणालियां सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में हैं, और विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय पर्वत प्रणाली लगातार बदलने रही और बढ़ने की वजह से, यह कई विवर्तनिक गतिविधियों को जन्म दे रही है।

बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू संचालन में जवाबदेही और पारदर्शिता है। इसके लिए, हर बांध के लिए प्रबंधन समितियों की आवश्यकता है, जहां सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों के अलावा, असुरक्षित अनुप्रवाह समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वालों की पूरी तरह से स्वतंत्र आवाज को श्बांध–सुरक्षा नीति प्रतिमानश में अपनी राय देनी होगी।जब की भारत में प्रत्येक नदी के प्रवाह में कई बांध हैं, संचालन के संदर्भ में बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ऊर्ध्वप्रवाह और अनुप्रवाह बांध का संचयी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

भारत में, केंद्रीय जल आयोग के तहत केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन, बांध मालिकों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, और बांधों की दत्त–सामग्री का अनुरक्षण करता है। बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति, बांध सुरक्षा नीतियां और अधिनियम तैयार करती है। फिलहाल, 18 राज्यों और चार बांध मालिक संगठनों के अपने स्वयं के बांध सुरक्षा संगठन हैं। केंद्रीय जल आयोग यह निर्धारित करता है कि, प्रत्येक बांध मालिक को हर साल मॉनसून से पहले और बाद में बांध का निरीक्षण करना चाहिए, कार्यस्थल की स्थिति और बांध कार्यविधी को समाविष्ट करना चाहिए। हालांकि, बाढ़ के पूर्वानुमान पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, 2008 से 2016 तक, अध्ययन किये गए 17 राज्योंमें से, केवल दो ने इस तरह के निगहबानी की हैं।

बांध की विफलताओं से बचने के लिए एक निरोधक रचनातंत्र आवश्यक है क्योंकि यदि कोई बांध विफल हो जाता है, तो कोई भी सजा जीवन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है। बांधों में समरूपता पर विचार करते समय, जलवायु और जलग्रहण क्षेत्रों जैसे स्थानीय कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बांध का निर्माण एक आपने आप में आपदा नहीं है, किन्तु बांध का कुप्रबंधन और घटिया समरेखण एक आपदा है, जो हम सभी को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसलिए, सरकार को बांध सुरक्षा के मुद्दे पर समग्र रूप से विचार करना चाहिए और पारिस्थितिक रूप से भंगुर क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ के लिए बड़े बांधों के निर्माण से बचना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. असवाल देवेंद्र सिंह (8 दिसम्बर 2021) ट्रबल्ड वाटर्स इंडिया लीगल https://www.indialegallive.com/dam-safety-bill/

2. असवाल देवेंद्र सिंह (10 दिसम्बर 2021) दी डैम सेफ्टी लॉ विल सील दी क्रैक्स दी पायोनियर https://www-dailypioneer-com-2021-columnists-the-dam-safety-law-will-seal-the-cracks-html
3. देशपांडे पी. पी. (5, 6 – 7 दिसम्बर 2021) नॅशनल डैम सेफ़्टी बिल 2021 पार्ट– 1, 2 – 3 टाईम्स ऑफ इंडिया https://www-google-com/amp/s/timesofindia-indiatimes-com/blogs/truth-lies-and-politics/national-dam-safety-bill-2021-part-2/%3ffrmapp=yes
4. डैम सेफ्टी बिल 2019 दृष्टी आयएएस https:@@www-drishtiias-com@daily&updates@ daily& news& analysis@dam&safety&bill&2019&
5. कृष्णा नवमी (29 जुलाई 2019) व्हाई आर स्टेट्स अनहैप्पी विथ डैम सेफ़्टी बिल? दि हिंदू https://www-google-com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/why-are -states-unhappy-with-dam-safety-bill/article28747531-ece/amp/
6. टोकस जलाज (10 दिसम्बर 2021) क्रिटिकल एनालायसिस ऑफ डैम सेफ्टी बिल 2021 लॉ इनसाइडर https://www.lawinsider.in/columns/the-dam-safety-bill-2021